2024/9

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट**

श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री चम्पालाल
निवासी केसरगंज
तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
प्रबन्धक ए.यू. फाईनेंस बैंक आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 02 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
06.02.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी प्रबन्धक ए.यू. फाईनेंस बैंक आबूरोड को दिनांक 19.10.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि लोन एग्रीमेन्ट दिनांक 30.04.2012 खाता संख्या एयू104548 की सत्यापित प्रति एवं उक्त ऋण श्री रानाराम पुत्र श्री सूरमाराम गरासिया को दिया गया एक जमानती पर श्री कमलेश कुमार लोधा का नाम लिखा गया है, उसकी सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी प्रबन्धक ए.यू. फाईनेंस बैंक आबूरोड को दिनांक 19.10.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि लोन एग्रीमेन्ट दिनांक 30.04.2012 खाता संख्या एयू104548 की सत्यापित प्रति एवं उक्त ऋण श्री रानाराम पुत्र श्री सूरमाराम गरासिया को दिया गया एक जमानती पर श्री कमलेश कुमार लोधा का नाम लिखा गया है, उसकी सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना प्रबन्धक ए.यू. फाईनेंस बैंक आबूरोड से सम्बन्धित है। चूंकि प्रबन्धक ए.यू. फाईनेंस बैंक आबूरोड के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही** Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2024.03.15 16:19:29 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner